महात्मा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय

वर्धा (महाराष्ट्र)

ज्ञान शांति मैत्री

कार्यवृत्त

(विद्या-परिषद् की ग्यारहवीं बैठक)

02 दिसम्बर,2008

सुबह 12:00 बजे

सभा-कक्ष

जिला-क्रीड़ा संकुल भवन, जाजूवाड़ी, वर्धा

ज्ञान शांति मैत्री

महात्मा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय वर्धा

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997 क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित)

विद्या–परिषद् की 11वीं बैठक की कार्यसूची

दिनांक 02.12.2008

अनुक्रमणिका

मद सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	विद्या–परिषद् की 10वीं बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन।	2
2	अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण के संदर्भ में।	2
3	सत्र 2008–09 से एम.फिल्. जनसंचार माध्यम एवं संप्रेषण पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के संदर्भ में।	2
4	एम.फिल्. जनसंचार माध्यम एवं संप्रेषण के प्रवेश शुल्क के निर्धारण के संदर्भ में।	3
5	एम.फिल्. पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों को शोधवृत्ति के भुगतान के संदर्भ में	4
6	सत्र 2008–09 से एम. ए. दलित एवं जनजाति अध्ययन पाठ्यक्रम प्रारंभ किए जाने के संदर्भ में।	4
7	केन्द्रीय संस्थानों में कार्यरत सफाई कर्मचारियों के वार्ड को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के संदर्भ में।	4
8	अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थियों के प्रवेश शुल्क निर्धारण के संदर्भ में	5
9	सेवानिवृत्त सेना कर्मचारियों के वार्ड को प्रवेश में आरक्षण देने के संदर्भ में।	5
10	कश्मीरी विस्थापितों को प्रवेश में आरक्षण तथा प्रवेश तिथि के संदर्भ में।	5
11	संस्कृति विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड के कार्यवृत्त के संदर्भ में।	6–9
12	साहित्य विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड के कार्यवृत्त के संदर्भ में।	10–12
13	भाषा विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड के कार्यवृत्त के संदर्भ में।	12–13
14	अनुवाद एवं निर्वचन विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड के कार्यवृत्त के संदर्भ में।	14–16
15	दूर शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत वर्तमान में चलाये जा रहे एवं सत्र 2009–10 में प्रस्तावित पाठ्यक्रमों के संदर्भ में।	16–17
16	भारतीय एवं विदेशी भाषाओं के संचालन के संदर्भ में।	17
17	अध्यक्ष महोदय के अनुमति से अन्य विषय।	17

ज्ञान शांति मैत्री

महात्मा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय वर्धा

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997 क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित)

विद्या–परिषद् की 11वीं बैठक का कार्यवृत्त

महात्मा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय की विद्यापरिषद् की 11वीं बैठक कुलपति की अध्यक्षता में दिनांक 02/12/2008 को दोपहर 12:00 बजे से जाजूवाडी स्थिति विश्वविद्यालय के विस्तार पटल कार्यालय में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नांकित उपस्थित थे:

1)	श्री विभूति नारायण राय	:	अध्यक्ष
2)	प्रो. नदीम हसनैन	:	सदस्य
3)	प्रो. सुधीर चन्द्रा	:	सदस्य
4)	प्रो. आत्मप्रकाश श्रीवास्तव	:	सदस्य
5)	प्रो. इलीना सेन	:	सदस्य
6)	प्रो. मनोज कुमार	:	सदस्य
7)	प्रो. लेला कारूण्यकारा	:	सदस्य
8)	प्रो. महेन्द्र कुमार पाण्डेय	:	सदस्य
9)	प्रो. श्याम कश्यप	:	सदस्य
10)	डॉ. हनुमान प्रसाद शुक्ल	:	सदस्य
11)	डॉ. सी. अन्नपूर्णा	:	सदस्य
12)	डॉ. संतोष कुमार भदौरिया	:	सदस्य
13)	डॉ. अनिल कुमार पाण्डेय	:	सदस्य
14)	डॉ. रामानुज अस्थाना	:	सदस्य
15)	श्री राकेश मिश्रा	:	सदस्य
16)	श्री आनंद मंडित मलयज	:	सदस्य
17)	श्री मिथिलेश कुमार	:	सदस्य
18)	सुश्री थोकचोम कमला देवी	:	सदस्य
19)	श्री अनुप केशवदेव पुजारी	:	पदेन सचिव

शेष अन्य सदस्य किसी कारणवश बैठक में उपस्थित नहीं हो सके। कार्यसूची में दिये गए विषयों पर विचार-विमर्श के बाद लिए गए निर्णयों का क्रमानुसार विवरण निम्नवत् है।

01 **विद्या–परिषद् की 10वीं बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन–(Annexure-I)**

मानव संसाधन विकास मंत्रालय का पत्र डी ओ संख्या– एफ.26–7/2007–डेस्क(यू) दिनांक 01.10.2008 के अनुसरण में विद्या– परिषद् का गठन विश्वविद्यालय की अधिसूचना क्रमांकःप्रशा./55–74/2008 दिनांक 17/11/2008 के अनुसार किया गया है। उपर्युक्त अधिसूचना के अनुसार बनाई गई विद्या– परिषद् की 10वीं बैठक दिनांकः 18/011/2008 को कुलपति महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। अतः 10वीं बैठक में लिए गए निर्णयों की पुष्टि हेतु प्रस्तुत।

(विद्या–परिषद् की 10वीं बैठक का संलग्न कार्यवृत्त अवलोकनार्थ प्रस्तुत)

निर्णयः विद्या–परिषद् ने इसे अनुमोदित किया।

02 **अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण के संदर्भ में–(Annexure-II)**

मानव संसाधन विकास मंत्रालय से प्राप्त पत्र क्र. डी ओ संख्या– 19–5/2008–डेस्क (यू) दिनांक 20.04.2008 के अनुपालन में सत्र 2008–09 से अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के लिये 27 प्रतिशत (अधिक 27 प्रतिशत सामान्य श्रेणी की सीट सं.– अवबाधित intact रखने के लिये) आरक्षण लागू करने की अनुमति दी गयी थी। विश्वविद्यालय द्वारा इसे प्रथम चरण में 09 प्रतिशत आरक्षाणानुसार प्रवेश हेतु निर्धारित सीटों की संख्या बढ़ाई गयी है। इस पर कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने तथा अगले सत्र से चरणबद्ध लागू करने हेतु वर्तमान निर्धारित सीटों की संख्या (एम.ए. 20 तथा एम.फिल 10) बढ़ायी जानी है।

निर्णयः विद्या–परिषद् ने इसे अनुमोदित किया।

03 **सत्र 2008–09 से एम.फिल्. जनसंचसार माध्यम एवं संप्रेषण पाठ्यक्रम प्रारंभ किए जाने के संदर्भ में।–(Annexure-III)**

सत्र 2008-09 से एम.फिल्. जनसंचसार माध्यम एवं संप्रेषण पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया है। इस संदर्भ में कुलपति महोदय का अनुमोदन दिनांकः 25/11/2008 को देखते हुए विद्या- परिषद् के समक्ष कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत।

इस संदर्भ में कार्य-परिषद् द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम की प्रति संलग्न।

निर्णयः विद्या–परिषद् ने इसे अनुमोदित किया।

04 **<u>एम.फिल् जनसंचार माध्यम एवं संप्रेषण के प्रवेश शुल्क के निर्धारण के संदर्भ में।</u>**
<u>(Annexure-IV)</u>

विश्वविद्यालय के वर्तमान अध्यादेश में उपर्युक्त पाठ्यक्रम का प्रवेश शुल्क निर्धारित नहीं किया गया है। चूंकि इस सत्र 2008-09 से एम.फिल.जनसंचार माध्यम एवं संप्रेषण प्रारंभ किया गया है। इस सम्बन्ध में अन्य पाठ्यक्रम में लिए गए जा रहे शुल्क को एवं एम.एम जनसंचार माध्यम एवं संप्रेषण हेतु लिए जा रहे शुल्क को देखते हुए निम्न शुल्क प्रस्तावित है-

प्रवेश शुल्क

प्रवेश शुल्क-	0200/-
छमाही शिक्षण शुल्क-	0800/-
सुरक्षा राशि (प्रत्यर्पणीय)-	1000/-
प्रयोगशाला/पुस्तकालय संरक्षण शुल्क-(प्रत्यर्पणीय)	0750/-
पुस्तकालय शुल्क-(वार्षिक)	0050/-
खेलकूद शुल्क-(वार्षिक)	0125/-
इंटरनेट शुल्क-(वार्षिक)	0250/-
चिकित्सा शुल्क-(वार्षिक)	0030/-
छात्रसंघ शुल्क-(वार्षिक)	0090/-
परिचय पत्र-	0020/-
विद्यार्थी सहायता शुल्क-(वार्षिक)	0025/-
अकादमिक परियोजना/भ्रमण शुल्क-(वार्षिक)	0750/-
सांस्कृतिक कार्यक्रम शुल्क-(वार्षिक)	0025/-
प्रयोगशाला शुल्क-(वार्षिक)	0750/-
कुल राशिः	**4865/-**

उपर्युक्त शुल्क के सम्बन्ध में संकायाध्यक्ष, संस्कृति विद्यापीठ की सहमति को देखते हुए कुलपति महोदय द्वारा इस सत्र से उपर्युक्त शुल्क लागू करने का निर्देश प्राप्त हुआ है।

अतः विद्या-परिषद् के समक्ष कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत।

निर्णयः विद्या–परिषद् ने एम.फिल् जनसंचार माध्यम एवं संप्रेषण के प्रवेश शुल्क में प्रयोगशाला शुल्क को रु.750/– करते हुए इसे उपरोक्तानुसार अनुमोदित किया।

05 एम.फिल्.पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों को शोधवृत्ति के भुगतान के संदर्भ में–(Annexure-V)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त पत्र संख्या एफ.19-33/2006 (सी.यू.) दिनांक 06/12/2007 के अनुसार एम.फिल/पी-एच.डी. पाठ्यक्रम के शोधार्थियों को सत्र 2006-07 से आगे शोधवृत्ति दिए जाने के संदर्भ में निर्देश प्राप्त हुआ है। इसमें कितने माह के लिए भुगतान किया जाना है इसका जिक्र नहीं है। शोधार्थियों पर द्वारा समय-समय पर 12 महीनों के भुगतान की मांग की जा रही है।

निर्णयः विद्या–परिषद् ने पंजीयन/नामांकन तिथि में से जो भी कम हो, उससे अधिकतम 12 महीने शोधवृत्ति दिए जाने की अनुमति प्रदान की।

06 सत्र 2008–09 से एम. ए. दलित एवं जनजाति अध्ययन पाठ्यक्रम प्रारंभ किए जाने के संदर्भ में। (Annexure-VI)

उपर्युक्त पाठ्यक्रम के संदर्भ में स्कूल बोर्ड द्वारा बनाए गए पाठ्यक्रम का पाठ्यविवरण को कार्यपरिषद् की 32वीं बैठक में उपर्युक्त पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की है। अतः सत्र 2008-09 से एम. ए. दलित एवं जनजाति अध्ययन पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया है।

निर्णयः विद्या–परिषद् ने कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की।

07 केन्द्रीय संस्थानों में कार्यरत सफाई कर्मचारियों के वार्ड को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के संदर्भ में–(Annexure-VII)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय से जारी पत्र संख्या डी.ओ.संख्याः एफ. 19-15/2007-डेस्क (यू) दिनांक 17/08/2008 के अनुसार केन्द्रीय संस्थानों में कार्यरत सफाई कर्मचारियों के वार्ड को तकनीकी एवं उच्च शिक्षा निःशुल्क प्रदान करनेके सम्बन्ध में निर्देश हेतु प्राप्त हुआ है। अतः विद्या- परिषद् द्वारा इसपर निर्णय देनेपर उपुर्यक्त पत्र के परिप्रेक्ष्य में कार्रवाई की जाएगी।

निर्णयः विद्या–परिषद् ने इसे अनुमोदित किया।

08 अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थियों के प्रवेश शुल्क निर्धारण के संदर्भ में (Annexure-VIII)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय से प्राप्त पत्र संख्या डी.ओ.संख्याः एफ; 1-8/2008-(यू)-5 दिनांक 04/08/2008 द्वारा मांगी गई टिप्पणी (संलग्न) तथा इस पत्र के आधार पर अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थियों के प्रवेश शुल्क निर्धारण के संदर्भ में विद्यापरिषद् कृपया निर्णय ले।

निर्णयः विद्या–परिषद् नें संदर्भित पत्र में निर्देश क्रमांक 01 के अनुसार अनुमोदित किया।

09 सेवानिवृत्त सेना कर्मचारियों के वार्ड को प्रवेश में आरक्षण देने के संदर्भ में– (Annexure-IX)

विश्वविद्यालय के वर्तमान अध्यादेश में उपर्युक्त के संदर्भ में निवृत्त सेना कर्मियों को 1 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इस सम्बन्ध में मानव संसाधन विकास मंत्रयलय से प्राप्त पत्र संख्या डी.ओ.संख्याः एफ; 19-8/2008-डेस्क (यू) दिनांक 29/05/2008 द्वारा सेवानिवृत्त सेना कर्मचारियों के वार्ड को प्रवेश में आरक्षण हेतु 5 प्रतिशत सीटों का आरक्षण देने के सम्बन्ध में लिखा गया है।

निर्णयः विद्या–परिषद् ने इसे अनुमोदित किया।

10 कश्मीरी विस्थापितों को प्रवेश में आरक्षण तथा प्रवेश तिथि के संदर्भ में– (Annexure-X)

विश्वविद्यालय के वर्तमान अध्यादेश में उपर्युक्त के संदर्भ में कोई प्रावधान नहीं दिया गया है।

उक्त सम्बन्ध में मानव संसाधन विकास मंत्रालय से प्राप्त पत्र संख्या डी.ओ.संख्याः एफ.10-1/2008-डेस्क (यू) दिनांक 07/03/2008 के अनुपालन में कश्मीरी विस्थापितों को प्रवेश तिथि में 30 दिन अधिक दिए जाने, प्रवेश परीक्षा के प्राप्तांक में 10 प्रतिशत की छूट तथा पाठ्यक्रमवार सीटों की संख्या में 5 प्रतिशत की वृद्धि तथा अधिवास प्रमाण के सम्बन्ध में अधित्याग करने एवं प्रवजन प्रमाण में दूसरे वर्ष या उसके बाद जमा कराने की छूट दिए जाने के संदर्भ में लिखा है।

निर्णयः विद्या–परिषद् ने इसे अनुमोदित किया।

11 <u>संस्कृति विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड के कार्यवृत्त के संदर्भ में–(Annexure-XI)</u>

1) सत्र 2006-07 एवं 2007-08 के पी-एच.डी. के शोधार्थियों के शोध प्रारूपों की स्वीकृति।

सत्र 2006-07 एवं 2007-08 में पंजीकृत हुए समस्त शोधार्थियों का शोध प्रारूप कुछ संशोधनों के उपरान्त स्कूल-बोर्ड की चौथी बैठक दिनांक दिनांक 30/11/2008 में स्वीकृति प्रदान की तथा जिन शोध प्रारूपों में परिवर्तन किया गया, उनके संबंध में यह निर्णय लिया गया की अधिष्ठाता, संस्कृति विद्यापीठ तथा शोध निर्देशक के उपस्थिति में विद्यार्थियों के साथ शोध प्रारूप को अंतिम रूप प्रदान किया जायेगा। (सूची संलग्न)

निर्णयः विद्या–परिषद् ने इस संदर्भ में स्वीकृति प्रदान की।

2) अंतिम बैठक के दौरान प्राप्त शोध प्रारूपों अथवा शोध विषयों में परिवर्तन हेतु प्राप्त आवेदनों पर विचार एवं स्वीकृति।

जिन विद्यार्थियों ने अपने शोध विषय अथवा शोध प्रारूप में परिवर्तन हेतु आवेदन किया था उनमें कुछ संशोधन के उपरान्त सभी को औपचारिक रूप से स्कूल-बोर्ड की चौथी बैठक दिनांक 30/11/2008 में स्वीकृति प्रदान की गयी। (सूची संलग्न)

निर्णयः विद्या–परिषद् ने इस संदर्भ में स्वीकृति प्रदान की।

3) निम्न पाठ्यक्रमों के सिलेबस को स्कूल बोर्ड की कार्योत्तर स्वीकृति की प्रत्याशा में स्वीकृति प्रदान की गयी थी। स्कूल-बोर्ड की चौथी बैठक में निम्नानुसार पाठ्यक्रमों के सिलेबस को कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की दी गयी है।

अकादमिक सत्र 2008-09 के दौरान जो नये पाठ्यक्रम चलाये जा रहे हैं उन सभी में संशोधन के उपरान्त स्वीकृति प्रदान की गयी। स्कूल-बोर्ड की चौथी बैठक में जिन विषयों के पाठ्यक्रमों में परिवर्तन किये गये वे निम्नानुसार है:

1) दलित एवं आदिवासी अध्ययन में स्नातकोत्तर हेतू प्रस्तावित पाठ्यक्रम निम्नलिखित पाठ्यक्रम में निम्नलिखित परिवर्तन किया गया-

अ) प्रथम सत्र के तहत DTS 101 के Module-2 में Poona Pact के बाद गांधी और अम्बेडकर बहस (Gandhi Ambedkar debate) को शामिल किया गया।

ब) DTS 102 के Module 1 को दो भागो में विभाजित किया गया।

a) Social Thought of Ambedkar

b) Ambedkar on Women

स) DTS 202 के Module 3 Adivasi Movement in Contemporary India को दो भागो में विभाजित किया गया:

1) Autonomy movement in the Northeast India Movement (including Naga Peace Forces, Naga Autonomy and Mizo, dialog with NLF movements and Peace Processes)

2) Jharkhand Movement and Others: Central Indian Adivasi movements and issues: Operationalization of V Schedule, Forest rights Act, NGO movement in these areas.

ग) DTS 204 के Module 4 में PESA को भी जोडा गया।

2) भंदत आनंद कौसाल्यायन बौध्द अध्ययन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के पाठयक्रम में निम्न परिवर्तन किया गया:

a) तृतीय प्रश्नपत्र में *''संघ में समता का सिद्धांत एवं स्त्रियों के प्रवेश''* को जोड़ा गया।

3) शांति एवं संघर्ष समाधान में स्नातकोत्तर पाठयक्रम में निम्न परिवर्तन किया गया:

1) द्वितीय वर्ष के प्रथम पत्र के तृतीय बिंदु में- *''गांधी के बाद अम्बेडकर''* को शामिल किया गया।

2) द्वितीय वर्ष के तृतीय पत्र का प्रथम बिंदु - *''टिकाऊ विकास''* होगा।

3) द्वितीय वर्ष के तृतीय पत्र के चौथे बिंदु में- *''विकास, राष्ट्र-राज्य और अन्तर देशीय शरणार्थी''* होगा।

4) स्त्री-अध्ययन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (अंशकालीक, दो वर्ष) के पाठयक्रम में निम्न परिवर्तन किये गये ***(दूरशिक्षा एवं पूर्णकालिक पाठ्यक्रम के रूप में चलाए जाएंगे)***

1. प्रश्नपत्र द्वितीय खंड एक के इकाई दो में स्त्री श्रम के अन्तर्गत- *'कृषि, उद्योग संगठित, असंगठित क्षेत्र'* पढाये जायेगें।

2. प्रश्न पत्र 3 के खंड दो के इकाई छ के अन्तर्गत स्त्री का उत्पादन प्रक्रिया से सम्बंध के स्थान पर *'उत्पादन प्रक्रिया में स्त्री का योगदान'* नाम दिया गया।

5) संस्कृति विद्यापीठ आधार पाठयक्रम में निम्न परिवर्तन किया गया।

1. प्रथम इकाई में निम्ननूसार शीर्षक व्यवस्थित किये गये।

अ) महिला आंदोलन

ब) दलित आंदोलन

स) संस्कृति अध्ययन

(संपूर्ण विवरण संलग्न)

6) इसके अतिरिक्त निम्नलिखित नये पाठयक्रम सैद्धांतिक रूप से पारित किये गये जिनके सम्बंध में यह निर्णय लिया गया कि इन सभी पाठयक्रमों में विषय विशेषज्ञों के सहयोग से पाठयक्रम निर्माण कार्यशाला आयोजित किये जायेगें, जिनके अनुसार पाठयक्रम संचालित होंगे।

6.1 MA Anthropology in Department of Indigenous Studies
6.2 MA Vocal Music (Classical- Hindustani and Carnatak)
6.3 MA Percussion
6.4 MA Fine Arts
6.5 MA Dance
6.6 Diploma in Folk and Tribal Music
6.7 Diploma in devotional Music
6.8 Diploma in semi classical music
6.9 Diploma in Music Appreciation
6.10 Diploma Art Appreciation
6.11 Diploma in Folk and Tribal Art
6.12 Diploma in Sculpture.
6.13 Diploma in graphics
6.14 Diploma in painting
6.15 PG diploma in Dalit Studies (distance mode)
6.16 PG diploma in Tribal Studies (distance mode)
6.17 M Phil in Dalit and Tribal Studies
6.18 M.A. in Gandhian Thought* ***(दूरशिक्षा माध्यम से चलाए जाएंगे)***

(इनका प्रारंभिक प्रारूप विभाग द्वारा प्रस्तुत कर दिया गया)

6.19 Master in Social Work *

(इनका प्रारंभिक प्रारूप विभाग द्वारा प्रस्तुत कर दिया गया)

6.20 P.G. Diploma in NGO Management* ***(दूरशिक्षा एवं पूर्णकालिक पाठ्यक्रम के रूप में चलाए जाएंगे)***

(इनका प्रारंभिक प्रारूप विभाग द्वारा प्रस्तुत कर दिया गया)

(संपूर्ण विवरण संलग्न)

निर्णयः विद्या–परिषद् ने इसे अनुमोदित किया।

4) संस्कृति विद्यापीठ पी-एच. डी. के शोधार्थियों के मार्गदर्शन हेतु स्कूल बोर्ड की चौथी बैठक में प्रो. एम.एल.कसारे तथा प्रो. श्याम कश्यप को नियुक्त किया गया।

निर्णयः विद्या–परिषद् ने इसे अनुमोदित किया।

5) स्कूल बोर्ड कर चौथी बैठक में प्रो. एम.एल. कसारे को सुश्री रजनीगंधा धाबर्डे का शोधनिर्देशक नियुक्त किया गया।

निर्णयः विद्या–परिषद् ने इसे अनुमोदित किया।

6) स्कूल बोर्ड की चौथी बैठक में सत्र 2008-09 में जिन विद्यार्थियों ने स्त्री-अध्ययन में पी-एच.डी हेतु आवेदन पत्र दिया था, उनके लिखित एवं मौखिक परीक्षा फल में प्राप्त अंको के वरीयता-क्रम के अनुसार परिणाम को स्वीकृति दी गयी एवं शोध निर्देशक की उपलब्धता के आधार पर इन शोधार्थियों को पंजीकृत करने का निर्णय लिया गया।

निर्णयः विद्या–परिषद् ने इसे अनुमोदित किया।

7) स्कूल बोर्ड कर चौथी बैठक में यह निर्णय लिया गया कि प्रवेश प्रक्रिया में प्रश्न पत्र, परीक्षको की नियुक्ति प्रश्नपत्र-विन्यासक (paper-setter), विषय-विशेषज्ञ इत्यादि के सन्दर्भ में विभागाध्यक्ष, केन्द्र निदेशकों से प्रत्येक सत्रांत एवं प्रवेश परीक्षा के पूर्व सूची मंगायी जायेगी, जिसे कुलपति द्वारा अनुमोदित किया जायेगा।

निर्णयः विद्या–परिषद् ने इसे अनुमोदित किया।

12) <u>साहित्य विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड के कार्यवृत्त के संदर्भ में–(Annexure-XII)</u>

1) साहित्य विद्यापीठ के अंतर्गत *'नाट्यकला एवं फिल्म'* के नये विभाग तथा उसमें एम.ए./एम.फिल्. एवं पीएच्.डी. पाठ्यक्रम आरंभ करने का प्रस्ताव।

स्कूल बोर्ड की चौथी बैठक में साहित्य विद्यापीठ मे *''नाट्यकला एवं फिल्म'* के नये विभाग खालने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

इसके साथ ही उक्त विभाग में चलाये जाने वाले पाठ्यक्रम का निम्नानुसार अनुमोदन किया गया:

3) **साहित्य विद्यापीठ के अंतर्गत साहित्य विभाग में "भारतीय लोक साहित्य सर्वेक्षण प्रकोष्ठ" तथा "शोध समन्वय प्रकोष्ठ" एवं "भारतीय साहित्य अनुवाद प्रकोष्ठ" के सृजन का प्रस्ताव।**

स्कूल बोर्ड की चौथी बैठक दिनांक 01/12/2008 में लिये गये निर्णयानुसार साहित्य-विद्यापीठ के अंतर्गत साहित्य विभाग में "भारतीय लोक साहित्य सर्वेक्षण प्रकोष्ठ" तथा "शोध समन्वय प्रकोष्ठ" एवं "भारतीय साहित्य अनुवाद प्रकोष्ठ" के सृजन का प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

स्कूल बोर्ड की अनुमति को देखते हुए विद्या– परिषद् के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत।

4) **साहित्य विद्यापीठ के अंतर्गत साहित्य विभाग में *"हिन्दुस्तानी"* एवं *"तुलनात्मक भारतीय साहित्य"* में एक वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम आरम्भ करने का प्रस्ताव–(Annexure-XII)**

स्कूल बोर्ड की चौथी बैठक दिनांक 01/12/2008 में लिये गये निर्णयानुसार साहित्य विद्यापीठ के अंतर्गत साहित्य विभाग में "हिन्दुस्तानी" एवं "तुलनात्मक भारतीय साहित्य" में एक वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम आरम्भ करने का प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

स्कूल बोर्ड की अनुमति को देखते हुए विद्या–परिषद् के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत।

5) **पीएच्.डी. में प्रवेश–प्रक्रिया पर पुनर्विचार और उसके नये प्रारूप पर निर्णय– (Annexure-XII)**

स्कूल बोर्ड की चौथी बैठक दिनांक 01/12/2008 में पी–एच. डी. में प्रवेश–प्रक्रिया पर पुनर्विचार और उसके नये प्रारूप पर विचार किया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि इसे विद्या– परिषद् की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जाय।

अतः निर्णयार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः **विद्या–परिषद् ने साहित्य विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड के कार्यवृत्त को अनुमोदित करते हुए मद संख्या (iii) में कनिष्ठ शोधवृत्ति से वरिष्ठ शोधवृत्ति में प्रोन्नयन हेतु मूल्यांकन से सम्बन्धित बाह्य परीक्षक नामांकित करने हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया।**

13) भाषा विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड के कार्यवृत्त के संदर्भ में–(Annexure-XIII)

1) **भाषा विद्यापीठ के प्रस्तावित पाठ्यक्रमों की स्वीकृति के संदर्भ में–**

स्कूल बोर्ड की चौथी बैठक दिनांक 30/11/2008 द्वारा अनुमोदित निम्न पाठ्यक्रम भाषा विद्यापीठ के अंतर्गत प्रस्तावित हैं–

क) भारतीय भाषाओं के संदर्भ में निम्न चरणों के तहत पाठ्यक्रम प्रस्तावित हैं–

चरण – 1	: मराठी, तमिल
चरण – 2	: बंगला, तेलुगु
चरण – 3	: गुजराती, कन्नड़
चरण – 4	: असमी, पंजाबी
चरण – 5	: मलयालम, संस्कृत

ख) विदेशी भाषाओं के संदर्भ में निम्न चरणों के तहत पाठ्यक्रम प्रस्तावित हैं–

चरण – 1	: चीनी, जापानी, स्पेनिश तथा फ्रेंच
चरण – 2	: अरबी, फारसी, जर्मन, कोरियाई, रूसी तथा पारसी

निर्णयः विद्या–परिषद् ने इसे अनुमोदित किया।

2) **पी–एच.डी. हिन्दी (भाषा प्रौद्योगिकी) सत्र 2008–09 के प्रवेश के संदर्भ में।**

स्कूल बोर्ड की चौथी बैठक दिनांक 30/11/2008 में लिये गये निर्णयानुसार पीएच्.डी. हिन्दी (भाषा प्रौद्योगिकी) सत्र 2008–09 के साक्षात्कार में सफल अभ्यर्थियों के नामांकन हेतु डीन, भाषा विद्यापीठ एवं कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।

निर्णयः विद्या–परिषद् ने इसे अनुमोदित किया।

चलाना उचित होगा। साथ ही सिनेमैटिक अनुवाद का पाठ्यक्रम भी रोजगार की दृष्टि से आवश्यक है।

घ) स्कूल बोर्ड की उपर्युक्त बैठक में अनुवाद एवं निर्वचन विद्यापीठ में विभिन्न प्रयोगशालाओं एवं स्टूडियो की आवश्यकता को देखते हुए निम्न प्रयोगशाला बनाने का सुझाव दिया है।

1. भाषा प्रयोगशाला
2. सिनेमैटिक अनुवाद स्टूडियो
3. ज्ञान प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला

च) अनुवाद एवं निर्वचन विद्यापीठ के अंतर्गत चल रहे एम. फिल. पाठ्यक्रम में एम.ए. में किए गए संशोधन के अनुसार ही इसमें भी संशोधन किया गया है।

एम.फिल. अनुवाद प्रौद्योगिकी

यह पाठ्यक्रम एक वर्ष (दो छमाही) का है। प्रथम छमाही में अध्ययन-अध्यापन का कार्य होगा। द्वितीय छमाही के तहत विद्यार्थियों को शोध प्रबंध लिखना होगा और मौखिकी परीक्षा भी इसी छमाही का अंग होगा।

पहली छमाही

1. इस छमाही में मुख्यरूप से दो अनिवार्य पेपर होंगे और साथ में विद्यार्थियों को एक बैक ग्राउंड पेपर भी लिखना होगा जो कि 4 क्रेडिट का होगा।

(क) शोध प्रविधि
(ख) अनुवाद के आयाम
(ग) बैकग्राउंड पेपर

द्वितीय छमाही

(2) शोध प्रबंध निम्नलिखित में से किसी एक पर लिखना होगा :

- अनुवाद और भारतीय भाषाएँ
- अनुवाद और पश्चिमी भाषाएँ
- अनुवाद समीक्षा
- प्रोक्ति और अनुवाद
- रंगमंच और अनुवाद
- मशीनी अनुवाद
- अनुवाद का भाषावैज्ञानिक पक्ष
- संस्कृति और अनुवाद
- भाषा-शिक्षण और अनुवाद
- मीडिया और अनुवाद
- संप्रेषण और अनुवाद